न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

13/8/24

मु0न0:– 128/2022

उनवानः– हरिकिशन बनाम भरतलाल वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि, सायलान व गैरसायलान न0 1 व 9 एक ही बुजर्ग सुन्दर की संताने है। वर्णित आराजीया तमे गैरसायलान न0 1 ता 6 के मृतक पिता बाबू हिस्सा 1/2 तथा बकिया 1/2 हिस्से मे अन्य खातेदार काश्तकार है। वर्णित आराजीयात साबिक ख0न0 23 रकवा 6 बीघा 5 बिस्वा से बनाये गये है। साबिक ख0न0 सायलान व दावे के प्रतिवादी न0 7 ता 9 के पिता पपैया तथा गैरसायल न0 1 ता 6 के पिता बाबू बहिस्सा 1/2 तथा हरभान पुत्र सुखचन्द बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार जमाबन्दी सम्वत 2029–32 मे दर्ज है। इस प्रकार साबिक रिकार्ड अनुसार सायलान खातेदारी कराने के हकदार है। साबिक रिकार्ड अनुसार प्राईमाफेसी केस सायलान के पक्ष मे सावित है। इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.10.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि सायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य गलत व मनगडंत पेश किये है। सायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड नही है, बल्कि गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायलान द्वारा प्रस्तुत सजरा मे पपैया पुत्री किस्तूरी को वारिसान मे नही दर्शाया है इसिलये मिस जोइन्डर ऑफ प्रोपर्टीज का नुक्स नही है, गैरसायल न0 7 ता 9 द्वारा अपने 1/4 हिस्से की आराजी सायलान की जानकारी मे रहते हुये आराजी का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.03.1990 को गैरसायल न0 1 ता 6 के पिता बाबू के नाम कर दी है। और तभी से गैरसायल न0 1 ता 6 का कब्जा है। वर्तमान मे 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण आराजी पर काबिज है, इस प्रकार सायलान किसी प्रकार की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नही है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.10.2022 को खारिज करते हुये सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता न0 83 मे गैरसायलान 1 ता 6 के बुजुर्ग बाबू पुत्र सुन्दर हिस्सा 1/2 के खातेदार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। साबिक रिकार्ड अनुसार वादीगण व प्रतिवादी गण के बुजुर्गान के नाम रही है। वादीगण पपैया के फौत होने पर साबिक ख0न0 23 का नामांतकरण रामकिशन, गोपी, शंकर पि0 पपई के नाम स्वीकार हुआ है। जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2037–40 से साबित है। इससे स्पष्ट है कि खातेदार पपई की विरासत खोलते समय वादीगण को शामिल नही किया गया है। वादीगण ने दावा बावत घोषणा खातेदारी का पेश किया है इसलिये प्रकरण प्रथम दृष्टया सायलान के पक्ष मे साबित होने से इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान को पाबन्द करते हुये स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 11.10.2022 को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जाता है। अर्थात प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे गैरसायलान को ता दावा फैसला जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान वर्णित आराजीयात मे रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:12:01 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी